

वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 6]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 5 फरवरी, 2021-माघ-16, शके 1942

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं (Shyam Lal Prajapati) शपथ करता हूँ कि मेरे शेर के दस्तावेजों में मेरा नाम त्रुटिवश Suman Lal Prajapati दर्ज हो गया है. जबकि मेरी शैक्षणिक अंकसूची एवं आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाते व अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम Shyam Lal Prajapati दर्ज है जो कि सत्य व सही है. वर्तमान में मुझे Shyam Lal Prajapati के नाम से जाना, पहचाना जाता है. भविष्य में भी मुझे Shyam Lal Prajapati के नाम से जाना जावे. समस्त सूचित हों.

पुराना नाम :

(Suman Lal Prajapati)

नया नाम :

(Shyam Lal Prajapati)

शूजाबाद भवन, नई सड़क,
लशकर, ग्वालियर (म.प्र.).

(636-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी नाबालिग पुत्री तुलसी मेहरा पिता सूर सिंह मेहरा का नाम जवाहर नवोदय विद्यालय के कक्षा 10 के पंजीयन में गलती से पिता के नाम SUR SINH लिखा गया है. जबकि मेरा वास्तविक एवं सही नाम SUR SINGH MEHRA है. तथा आगे से मेरी पुत्री तुलसी मेहरा के पिता का नाम SUR SINGH MEHRA के नाम से जाना व पहचाना जावें.

पुराना नाम :

(SUR SINH MEHRA)

नया नाम :

(SUR SINGH MEHRA)

S/o-Ramlal Mehra

पता-ग्राम बरझर, तहसील भावरा,
जिला अलीराजपुर, म.प्र. हाल हाजिर प्रवीण सुरेन्द्र देवताले
बसाड फाटा, अमरावती रोड, रहीपुरा, तहसील एवं
जिला-बुरहानपुर (म.प्र.).

(637-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है, कि मेरी कक्षा 10वीं की अंकसूची में मेरा नाम भूलवश दीपेन्द्र (DEEPENDRA) अंकित हो गया है। जो कि गलत है। जबकि मेरे पिता के सर्विस दस्तावेजों में मेरा नाम दीपेन्द्र सिंह (DIPENDER SINGH) अंकित है। जो कि सत्य व सही है। अतः भविष्य में मुझे दीपेन्द्र (DEEPENDRA) के स्थान पर दीपेन्द्र सिंह (DIPENDER SINGH) के नाम से जाना व पहचाना जावे एवं अंकसूची में मेरा नाम दीपेन्द्र सिंह (DIPENDER SINGH) अंकित किया जाए।

पुराना नाम :

(दीपेन्द्र)

(DEEPENDRA)

(639-बी.)

नया नाम :

(दीपेन्द्र सिंह)

(DIPENDER SINGH)

पुत्र-श्री उदयवीर तोमर,
निवासी-आई-8, अमलतास, दीनदयाल नगर,
ग्वालियर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है, कि मेरा सही नाम पुष्पेन्द्र डीडवानिया (Pushpendra Didwaniya) है, जो कि मेरे समस्त दस्तावेज में भी लिखा हुआ है, किंतु मेरे पुत्र पर्व डीडवानिया के स्कूल अभिलेख में मेरा नाम प्रेम डीडवानिया (Prem Didwaniya) लिखा हुआ है। जो कि मेरा घरेलू नाम है। अतः मेरे पुत्र के सभी शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में मुझे मेरे सही नाम पुष्पेन्द्र डीडवानिया (Pushpendra Didwaniya) से ही लिखा, पढ़ा व जाना, पहचाना जावे।

पुराना नाम :

(प्रेम डीडवानिया)

(640-बी.)

नया नाम :

(पुष्पेन्द्र डीडवानिया)

1955-डी, सुदामा नगर,
इन्दौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, दीपक गुप्ता आत्मज श्री कतवारूराम गुप्ता, निवासी मकान नं. 6, रीगल मोहिनी एक्सटेंशन, खजूरी कलां, भोपाल (म.प्र.) का हूँ। यह कि मेरे कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम दीपक कतवारूराम गुप्ता, दीपक कुमार गुप्ता, दीपक के. आर. गुप्ता, गुप्ता दीपक के. आर. दर्ज है। जहां कहीं भी मेरा नाम दीपक कतवारूराम गुप्ता, दीपक कुमार गुप्ता, दीपक के. आर. गुप्ता, गुप्ता दीपक के. आर. दर्ज है। उसके स्थान पर दीपक गुप्ता पढ़ा एवं लिखा जावे।

पुराना नाम :

(दीपक कतवारूराम गुप्ता)

(641-बी.)

नया नाम :

(दीपक गुप्ता)

नाम परिवर्तन

मैं, नेम सिंह यादव सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि, मेरा सही नाम नेम सिंह यादव है, जो कि मेरे समस्त दस्तावेजों में भी लिखा हुआ है, किन्तु मेरे एवं मेरे बच्चों के कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम सतीश परमार उर्फ सतीश मालवीय लिखा हुआ है, जो कि मेरा घर पर पुकारे जाने वाला नाम है, अतः मेरे एवं मेरे बच्चों के समस्त शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में मुझे मेरे सही नाम नेम सिंह यादव से ही लिखा व पढ़ा जावे।

पुराना नाम :

(सतीश परमार उर्फ सतीश मालवीय)

(642-बी.)

नया नाम :

(नेम सिंह यादव)

एकता नगर, आगर मालवा (म.प्र.).

CHANGE OF NAME

I, Jeevan Singh Bhati (Old name) have changed my name from Jeevan Singh Bhati (Old name) to Prakash Bhati (new name) by affidavit sworn before the Notary Public, Indore (Place) on 17-09-2020 (date). Henceforth, I shall be known as Prakash Bhati (New Name) for all purposes.

Old Name :

(JEEVAN SINGH BHATI)

(643-B.)

New Name :

(PRAKASH BHATI)

441/6, Nehru Nagar,
Indore M.P.

नाम परिवर्तन

मैं, स्वाती सक्सेना पति श्री राजीव सक्सेना (पुत्री डॉ. कृष्णमुरारीजी तिवारी), उम्र 42 वर्ष, निवासी एम. टी. एन. एल. एक्सचेंज के पास, 202, प्लेटिनम टॉवर, सेक्टर-8, चारकोप, मुंबई (महाराष्ट्र) हाल मुकाम 72, माल रोड, महू, जिला इन्दौर मध्यप्रदेश सर्व-साधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा विवाह पूर्व नाम स्वाती तिवारी पिता कृष्णमुरारी तिवारी था, जो कि मेरे पेन कार्ड नं. ACLPT4542M पर लिखा हुआ है. मेरा विवाह दिनांक 23-06-2003 को श्री राजीव सक्सेना पिता श्री रविन्द्रनाथजी सक्सेना के साथ सम्पन्न हुआ और विवाह के पश्चात् मेरा नाम स्वाती तिवारी की जगह स्वाती सक्सेना हो गया है. जो कि मेरे आधार नं. 7508 3494 3011 पर लिखा हुआ है. स्वाती तिवारी व स्वाती सक्सेना, उक्त दोनों नाम मेरे ही हैं, अतः अब मुझे स्वाती तिवारी सक्सेना पति राजीव सक्सेना के नाम से जाना जावे. यह आमजन एवं सर्वजन सूचित हो.

पुराना नाम :

(स्वाती तिवारी)

(644-बी.)

नया नाम :

(स्वाती तिवारी सक्सेना)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पुराना टिल्लूमल डुंगरसागरीया मेरी बीमा पालिसी क्रमांक 342679641 में दर्ज है तथा अन्य दस्तावेज में मेरा नया नाम टिंकल मोदी दर्ज है. इस प्रकार मैंने अपना नया नाम टिंकल मोदी ग्रहण कर लिया है, सो मुझे मेरे परिचित, रिश्तेदार, समाजजन, नये परिवर्तित नाम टिंकल मोदी (TWINKAL MODI) के नाम से जाने, पहचाने व पुकारें.

पुराना नाम :

(टिल्लूमल डुंगरसागरीया)

(645-बी.)

नया नाम :

(टिंकल मोदी)

निवासी-मकान नम्बर 475, वार्ड नम्बर 05, नाईयों की गली, कुकडेश्वर, तहसील मनासा, जिला नीमच (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, देवानन्द पुत्र श्री लक्ष्मण प्रसाद, आयु व्यस्क, निवासी 70/ए, प्रगति नगर, बरखेड़ा भेल, भोपाल मध्यप्रदेश पूर्व में मेरे कुछ शासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम देवानन्द खटिक लिखा गया है. अब मैंने अपने पूर्व के नाम को परिवर्तित कर देवानन्द कर लिया है. जो मेरे वोटर कार्ड, पेन कार्ड, टी. सी. एवं पेनकार्ड में अंकित है. अतः अब मुझे परिवर्तित नाम देवानन्द के नाम से ही समाज में जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(देवानन्द खटिक)

(649-बी.)

नया नाम :

(देवानन्द)

पता-70/ए, प्रगति नगर बरखेड़ा भेल, भोपाल (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती रिया भाले पत्नी श्री रोहित भाले सर्व-साधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा विवाह पूर्व का नाम कु. वैशाली सहस्त्रबुद्धे पुत्री श्री विनोद सहस्त्रबुद्धे था. जो मेरे शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों में लिखा गया है. मेरा विवाह दिनांक 12-02-2008 को श्री रोहित भाले के साथ हिन्दु रीतिरीवाज से हो गया है. विवाह उपरांत मेरा नाम श्रीमती रिया भाले पत्नी श्री रोहित भाले हो गया है. जो मेरे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड इत्यादि में लिखा गया है. वर्तमान में मुझे श्रीमती रिया भाले के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा जाता है और भविष्य में भी मुझे श्रीमती रिया भाले के नाम से ही जाना, पहचाना, पुकारा जाएगा. कु. वैशाली सहस्त्रबुद्धे एवम् श्रीमती रिया भाले मेरे ही नाम है. अतः मेरे सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों एवम् अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम कु. वैशाली सहस्त्रबुद्धे के स्थान पर श्रीमती रिया भाले पत्नी श्री रोहित भाले लिखा एवम् पड़ा जाए. आमजन एवम् सर्वजन सूचित हो.

पुराना नाम :

(वैशाली सहस्त्रबुद्धे)

(650-बी.)

नया नाम :

(रिया भाले)

पता-62, अमलतास फेस-02, चूना भट्टी कोलार रोड, जिला-भोपाल (म.प्र.) पिन-462016.

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, शपथकर्ता सर्वेश कुमार तिवारी (SARVESH KUMAR TIWARI) पिता कृष्ण कुमार तिवारी (KRISHNA KUMAR TIWARI), जन्मतिथि 02-01-1979, निवासी क्वार्टर नं. 02 एरोड्रम पुलिस लाईन, इन्दौर, इन्दौर-452005 मध्यप्रदेश पुलिस विभाग में नियोजित होकर वर्तमान में जिला पुलिस बल, इन्दौर में आरक्षक के पद पर पदस्थ हूँ।

यह कि मेरे, शैक्षणिक दस्तावेजों एवं विभागीय अभिलेख में मेरा नाम सर्वेश कुमार त्रिपाठी (SARVESH KUMAR TRIPATHI) पिता कृष्ण कुमार तिवारी (KRISHNA KUMAR TRIPATHI) दर्ज है। जबकि मेरा सही एवं प्रचलित नाम सर्वेश कुमार तिवारी (SARVESH KUMAR TIWARI) पिता कृष्ण कुमार तिवारी (KRISHNA KUMAR TIWARI) है, जो मेरे समस्त अन्य शासकीय/अशासकीय/पत्नी/बच्चों के दस्तावेजों में भी दर्ज हैं। मैं, इसी नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ एवं इसी नाम को मैं, विभागीय अभिलेखों एवं शैक्षणिक दस्तावेजों में दुरुस्त करवाना चाहता हूँ। यह कि, सर्वेश कुमार तिवारी (SARVESH KUMAR TIWARI) एवं सर्वेश कुमार त्रिपाठी (SARVESH KUMAR TRIPATHI) एक ही व्यक्ति है। यानी मुझ शपथकर्ता के ही नाम हैं और अब इसके पश्चात् भविष्य में समस्त समयों पर, समस्त अभिलेखों, विलेखों तथा लेखों में और समस्त कार्यवाहियों, व्यवहारों तथा संव्यवहारों में, चाहे वे शासकीय हों या अशासकीय हों और समस्त अवसरों पर मुझ शपथकर्ता को सर्वेश कुमार तिवारी (SARVESH KUMAR TIWARI) पिता कृष्ण कुमार तिवारी (KRISHNA KUMAR TIWARI) के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जावे।

पुराना नाम :

(सर्वेश कुमार त्रिपाठी)
(SARVESH KUMAR TRIPATHI)

नया नाम :

(सर्वेश कुमार तिवारी)
(SARVESH KUMAR TIWARI)
पिता-कृष्ण कुमार तिवारी,
(KRISHNA KUMAR TIWARI)
निवासी-क्वार्टर नं. 02 एरोड्रम पुलिस लाईन,
इन्दौर-452005.

(638-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जा रहा है कि मलिक इंजीनियरिंग इंडिया फर्म जिसका पंजीयन क्रं 01/01/01/00082/2004, दिनांक 18-08-2004 को पंचायत फर्म के भागीदार 1. श्री सतीष मलिक आ. स्व. श्री सीताराम मलिक, 2. मनु मलिक आ. श्री. सतीश मलिक, 3. श्रीमती कामिनी मलिक पत्नी सतीश मलिक, 4. कुणाल मलिक आ. श्री सतीश मलिक उपरोक्त फर्म के भागीदार थे. फर्म की रचना में परिवर्तन पत्र दिनांक 21-10-2020 से तृतीय पक्ष एवं चतुर्थ पक्ष क्रमशः श्रीमती कामिनी मलिक पत्नी सतीश मलिक कुणाल मलिक आ. श्री सतीश मलिक मलिक इंजीनियरिंग इण्डिया, भोपाल फर्म से पृथक् कर दिया गया है. मलिक इंजीनियरिंग इण्डिया फर्म में अब प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष क्रमशः (1) सतीश मलिक आ. स्व. श्री सीताराम मलिक, (2) मनु मलिक आ. श्री सतीश मलिक ही भागीदार रहेंगे.

ओम प्रकाश सक्सेना,

(एडवोकेट)

कार्यालय-एल. 14/18, महर्षि पंतजलि बी. डी. ए.
कॉलोनी, भोपाल.

(647-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मे. रामकुमार एण्ड संस सेमरिया चौक, रीवा रोड, सतना, जिला सतना (म.प्र.) पंजीयन क्रमांक 05/26/01/00022/14, दिनांक 21-05-2014 पर पंजीकृत फर्म है. पंजीयन के समय 1. विश्वनाथ प्रसाद चमड़िया, 2. अशोक कुमार चमड़िया, 3. नीलम चमड़िया भागीदार थे. विश्वनाथ प्रसाद चमड़िया की मृत्यु दिनांक 19-02-2018 एवं अशोक कुमार चमड़िया की मृत्यु 09-02-2019 को हो गई. अब उक्त फर्म में नये भागीदार के रूप में अमित चमड़िया दिनांक 11-01-2021 को सम्मिलित हो गये हैं. उक्त फर्म की रचना में की गई परिवर्तन को सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है.

मे. रामकुमार एण्ड संस,

नीलम चमड़िया,

(पार्टनर)

पता-सेमरिया चौक, रीवा रोड,
सतना (म.प्र.).

(648-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अधीन रजिस्टर्ड फर्म IGNITED FOUR पता-SHOP No. 311, BDA, COMPLEX 7 No. STOP SHIVAJI NAGAR, BHOPAL (M.P.) 462016 रजिस्ट्रेशन क्रमांक 01/01/01/0025/19 वर्ष 2019-2020, दिनांक 30-04-2019 की रचना में निम्नानुसार परिवर्तन हुए हैं। Mr. Sanjeev Kumar Singh S/o Mr. Shambhu Prasad Singh, Aged about 33 Years, R/o B-4, Rhythm Park, Bangrasiya Chouraha, Bangrasiya, Bhopal (M.P.) (Hereinafter Called retiring Partner) दिनांक 15-01-2021 से भागीदारी फर्म से पृथक् हुए। Mr. Rajeev Kumar S/o Mr. Chandra Dev Singh, Aged about 32 years R/o Village-Garwat Bigha, Gangauli, Rohtas (Bihar) (Hereinafter Called retiring partner) दिनांक 15-01-2021 से भागीदारी फर्म से सम्मिलित हुए।

फर्म-IGNITED FOUR,
YADVENDRA SINGH,
(Partner)

15/649, Near Rajya Parivaban Nigam Rtahara,
Rewa (M.P.).

(651-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स पीताम्बरा बिल्डकॉन, डी-524, सुरेश नगर, थाटीपुर, ग्वालियर में साझेदारी व्यवसाय चल रहा है। जिसका रजिस्ट्रेशन क्रमांक 02/39/01/00092/14, दिनांक 17-07-2014 है। जिसमें आज दिनांक 18-11-2020 से साझेदारी फर्म में साझेदारों की सहमति से संशोधन कर फर्म से श्री योगेश उपाध्याय पुत्र श्री संदीप उपाध्याय, निवासी SLP कॉलेज के पास, सूरी नगर, मुरार ग्वालियर जो कि अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं। फर्म से पृथक् हुए साझेदार भविष्य में फर्म से संबंधित किसी भी प्रकार के लेन-देन या अन्य कार्यों में इनका कोई लेना-देना शेष नहीं रहा है तथा भविष्य में फर्म से संबंधित किसी भी प्रकार के लेन-देन या अन्य कार्यों में अपने शेयर के मुताबिक शेष साझेदार जिम्मेदार होंगे और वे फर्म के चालू रहने वाले अन्य साझेदार को स्वीकार है।

मैसर्स पीताम्बरा बिल्डकॉन,
नीरज शर्मा,
(पार्टनर).

(652-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है, कि मेसर्स श्री रामा टेक्सटाइल्स फर्म जिसका पता 45, मुनिसिपल मार्केट, वल्लभ नगर, इन्दौर (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्रमांक 766, दिनांक 13-12-1990 पर पंजीकृत भागीदारी फर्म है। जिसके भागीदार 1. जी. डी. राठी एच्. यू. एफ. तर्फे कर्ता जी. डी. राठी पिता श्री मुरलीधर राठी, 2. वी. के. राठी एच् यू. एफ. तर्फे कर्ता वी. के. राठी पिता श्री मुरलीधर राठी, 3. श्री पी. के. राठी पिता श्री सोहनलाल राठी, 4. श्री रामदयाल बियानी पिता श्री सत्यनारायण बियानी एवं 5. श्रीमती कौशलयादेवी बियानी पति श्री सुरेश बियानी थे। तत्पश्चात् दिनांक 01-04-1998 को भागीदारी संशोधन लेख द्वारा 1. श्रीमती रेनू राठी पति श्री दिनेश कुमार राठी एवं श्री नन्दलाल बाहेती पिता श्री बाबूलाल बाहेती भागीदारी फर्म मेसर्स श्री रामा टेक्सटाइल्स में सम्मिलित हो गए हैं एवं 1. श्री पी. के. राठी पिता श्री सोहनलाल राठी, 2. श्री रामदयाल बियानी पिता श्री सत्यनारायण बियानी एवं 3. श्रीमती कौशलयादेवी बियानी पति श्री सुरेश बियानी भागीदारी फर्म मेसर्स श्री रामा टेक्सटाइल्स से पृथक् हो गए हैं। फर्म का पंजीकृत पता प्लॉट नं. 223, सेक्टर-F, सांवेर रोड, इंदौर हो गया है। यह विदित हों।

तर्फे-मेसर्स श्री रामा टेक्सटाइल्स,

1. जी. डी. राठी एच् यू. एफ., 2. वी. के. राठी एच् यू. एफ.,
3. रेनू राठी, 4. नन्दलाल बाहेती,

(पार्टनर).

(653-बी.)

विविध**आयुक्तों तथा जिलाध्यक्षों की सूचनाएं**

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, ग्वालियर

ग्वालियर, दिनांक 18 जनवरी, 2021

क्र./क्यू./स्टेनो/एडीएम/2021/14.—सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में दिये गये निर्देशों के पालन में श्री आर. एन. त्रिपाठी, उप पुलिस अधीक्षक, यातायात, ग्वालियर द्वारा प्रतिवेदन क्रमांक/उपुअ/याता/ग्वा./99/19, दिनांक 06 मार्च, 2019 प्रस्तुत किया गया। जिसमें प्रतिवेदित किया गया है कि ग्वालियर शहर में ऑटो रिक्शा की संख्या लगभग 6000 से अधिक है। किन्तु ऑटो स्टेण्ड की संख्या जिला मजिस्ट्रेट, ग्वालियर के पत्र क्रमांक/क्यू./स्टेनो/एडीएम/8605/10, दिनांक 20-07-2010 के द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा-177 एवं मोटर व्हीकल

नियम-1994 के नियम-203 के अंतर्गत स्थानीय अधिकारियों से परामर्श कर 32 ऑटो स्टेण्डों की अधिसूचना जारी की गई. वर्तमान शहर में ऑटो रिक्शा की संख्या को दृष्टिगत रखते हुये ऑटो स्टेण्डों की संख्या काफी कम है. मीटिंग में दिये गये निर्देशानुसार शहर के ऑटो चालक संघ के सदस्यों के साथ भ्रमण कर उक्त 32 स्टेण्डों के अतिरिक्त 192 ऑटो स्टेण्ड चिन्हित किये गये.

उपरोक्त सूची पर आयुक्त, नगर निगम, ग्वालियर से पत्र क्रमांक 4/20/2/10 राजस्व दिनांक 23-09-2020 से अभिमत प्राप्त हुए जिसमें उनके द्वारा उल्लेखित 192 स्थानों पर ऑटो रिक्शा स्टेण्ड निर्धारित किये जाने हेतु यातायात अवरूद्ध न होने तथा नियत संख्या में ऑटो रिक्शा खडे होने पर कोई आपत्ति नहीं होना उल्लेखित किया गया है.

अतः सार्वजनिक सुरक्षा एवं सुविधा को दृष्टिगत रखते हुये मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा-117 एवं मोटर व्हीकल नियम-1994 के नियम-203 के अन्तर्गत स्थानीय प्राधिकारियों से परामर्श के उपरान्त, जिला ग्वालियर अन्तर्गत निम्न स्थानों को ऑटो स्टेण्ड घोषित किया जाता है:-

क्रमांक	ऑटो स्टेण्ड का नाम	निर्धारित ऑटो संख्या
(1)	(2)	(3)
1.	बहोडापुर चौराहा, शिन्दे की छावनी	5
2.	ट्रांसपोर्ट नगर, गेट नंबर-1	5
3.	ट्रांसपोर्ट नगर, गेट नंबर-2	5
4.	ट्रांसपोर्ट नगर, गेट नंबर-6 की पार्किंग	5
5.	मोतीझील साडा तिराहा	5
6.	मोतीझील	5
7.	पुरानी छावनी गोलम्बर के पास	5
8.	फ्रूट मण्डी	10
9.	सागरताल चौराहा	5
10.	आनन्द नगर चौराहा, डबल रोड	10
11.	अपना घर कॉलोनी	5
12.	विनय नगर तिराहा स्टेट बैंक	5
13.	कोटेश्वर मंदिर	10
14.	उरवाई गेट	5
15.	विनय नगर सेक्टर 4 बिजली घर	5
16.	मानसिक चिकित्सालय	5
17.	शब्दप्रताप आश्रम	5
18.	घासमण्डी चौराहा	5
19.	रामदास घाटी के नीचे	5
20.	जीडीए कार्यालय	5
21.	रतन ज्योति हॉस्पिटल	5
22.	साईबाबा मंदिर	5
23.	प्रेमनगर	5
24.	ग्वालियर सरकारी हॉस्पिटल	5
25.	पाताली हनुमान	5
26.	राजेन्द्र प्रसाद कॉलोनी	10
27.	तानसेन नगर	5
28.	लक्ष्मण पुरा	5

(1)	(2)	(3)
29.	गांधीनगर बेरिक के पास	5
30.	गांधीनगर पार्क के पास	5
31.	गांधीनगर रेल्वे क्रॉसिंग	5
32.	लक्ष्मीबाई प्रतिमा के सामने	10
33.	न्यू बिक्टोरिया मार्केट, चाट बाजार	5
34.	फूलबाग चौराहा गांधीपार्क के सामने	10
35.	चिडियाघर के सामने	2
36.	जीडीए ऑफिस, रविनगर	10
37.	घासमण्डी चौराहा	3
38.	हरितवाल नर्सिंगहोम	10
39.	सिविल हॉस्पिटल मुरार, प्रसूतिगृह	5
40.	चार शहर का नाका, शर्मा फार्म रोड	10
41.	चार शहर का नाका, बिरला नगर रोड	10
42.	मल्लगढ़ा चौराहा	5
43.	बिरला नगर रेल्वे स्टेशन	5
44.	यादव धर्मकाँटा	5
45.	जे. सी. मिल प्रसूति गृह	10
46.	पाताली हनुमान तिराहा	5
47.	काँचमिल आनंद गेट	5
48.	बिरला हॉस्पिटल	5
49.	पिन्टो पार्क, सूखा की कोठी	5
50.	पिन्टो पार्क, पानी की टंकी	5
51.	पिन्टो पार्क, जडेरूआ गेट	5
52.	दीनदयाल नगर कुशवाह मार्केट	5
53.	चंबल गेट	10
54.	सुरेश नगर	5
55.	सनसिटी	5
56.	सिकंदर कम्पू, इम्लीनाका	5
57.	सिकंदर कम्पू पानी की टंकी	5
58.	सिकंदर कम्पू कलारी के सामने	5
59.	शिन्दी कॉलोनी	5
60.	खासगी चौराहा	5
61.	लक्कडखाना का पुल	5
62.	हनुमान मंदिर	5
63.	शीतला माता मंदिर	5
64.	लाला का बाजार	5

(1)	(2)	(3)
65.	हनुमान टॉकीज	5
66.	ईदगाह कम्पू	10
67.	गुडा पुलिया	5
68.	गुडी गुडा का नाका मरघट	10
69.	सहारा हॉस्पिटल	10
70.	विवेकानंद चौराहा, साईंस कॉलेज	10
71.	मानिक विलास कॉलोनी, हनुमानजी मंदिर	10
72.	जयेन्द्रगंज, राजीव प्लाजा	10
73.	दालबाजार पुलिस चौकी	10
74.	माधव डिस्पेंसरी के सामने	5
75.	कटोराताल चौराहा	5
76.	डिस्पेंसरी रोड कटोराताल, चौराहा	10
77.	पारस विहार कॉलोनी, झांसीरोड	5
78.	केंसर हॉस्पिटल	10
79.	सिटीसेंटर सचिन तेन्दुलकर मार्ग	10
80.	सिटीसेंटर हनुमानजी मंदिर के सामने	5
81.	यूनीवर्सिटी गेट छोटा	5
82.	अनुपम नगर	3
83.	स्टेट बैंक सिटीसेंटर	5
84.	बूस्टन कॉलेज	5
85.	अल्कापुरी	5
86.	शारदा विहार तिराहा, अंदर तरफ	8
87.	डी. बी. सिटी	5
88.	गोविन्दपुरी बिग शॉप	5
89.	एम. के. सिटी	5
90.	गोविन्दपुरी मिलेनियम प्लाजा	5
91.	ग्रीन गार्डन पटेलनगर	5
92.	कलेक्ट्रेट गेट पेट्रोलपंप	5
93.	एस. पी. ऑफिस	10
94.	साईड नंबर-1 एन. डी. बैश्य, सिटी सेंटर	10
95.	गांधीरोड, सीतामेनोर हॉटल	5
96.	बलवंत नगर गांधीरोड तिराहा	5
97.	कुम्हरपुरा, द्वारिकाधीश मंदिर	10
98.	हुरावली चौराहा	10
99.	सिरोल रोड	10
100.	समाधिया कॉलोनी तारागंज ब्लॉक-ए	5
101.	समाधिया कॉलोनी तारागंज ब्लॉक-बी	5
102.	समाधिया कॉलोनी तारागंज ब्लॉक-सी	5
103.	6 नंबर चौराहा	5

(1)	(2)	(3)
104.	मेक्सकोट हॉस्पिटल	10
105.	रॉक्सी टॉकीज	10
106.	रॉक्सी पुल लक्कडखाना रोड	10
107.	रॉक्सी पुल हाईकोर्ट	10
108.	जिन्सीनाला खुरजे वाला मोहल्ला चौराहा	10
109.	ऊटपुल के नीचे नई सड़क रोड	10
110.	लक्कडखाना पुल	10
111.	लाला का बाजार माता का मंदिर	10
112.	गोरखी कोलडिपो	10
113.	मामा का बाजार, बडवली चौक	10
114.	जनक हॉस्पिटल	3
115.	गोल पहाडिया तिघरा रोड, पुलिस चौकी के सामने	10
116.	गोल पहाडिया बिजली घर रोड	5
117.	मेंहदी बाला सैयद ए. बी. रोड	5
118.	ए. बी. रोड पत्थर का फड	5
119.	लक्ष्मीगंज सब्जीमण्डी गेट	10
120.	सब्जीमण्डी के आगे गल्लामण्डी गेट	10
121.	गिरवाई पुलिस थाना	5
122.	ए. बी. रोड रामाजी का पुरा	5
123.	कटीघाटी गिराज जी का मंदिर	5
124.	ए. बी. रोड गणेश मंदिर	5
125.	जीवाजीगंज, पुलिस चौकी के पास	5
126.	पीजीबी कॉलेज जीवाजीगंज	5
127.	त्रिवेदी नर्सिंग होम	5
128.	हरिनिर्मल टॉकीज	5
129.	घोसीपुरा रेल्वे स्टेशन	5
130.	दर्पण कॉलोनी	5
131.	दर्पण कॉलोनी, पानी की टंकी	5
132.	थाटीपुर जच्चाखाना	10
133.	आकाशवाणी तिराहा	5
134.	मानिकविलास हनुमान मंदिर के पास	5
135.	सिल्वर स्टेट	5
136.	तुलसी विहार	5
137.	सेल्सटैक्स ऑफिस	5
138.	एन. डी. वैश्य सेट्रल पार्क	5
139.	बसंत टॉकीज	10
140.	नेहरू कॉलोनी	5
141.	माधवगंज कबूतर हाट	3
142.	गुप्तेश्वर मंदिर	10

(1)	(2)	(3)
143.	पंतनगर	5
144.	महाराजपुरा हवाई अड्डा	10
145.	कालपी ब्रिज मेन गेट	5
146.	दीनदयाल नगर मेन गेट	5
147.	शताब्दीपुरम	5
148.	कल्पना टॉकीज	5
149.	न्यू कलेक्ट्रेट	5
150.	नारायण विहार गोले का मंदिर	5
151.	गोवर्धन कॉलोनी	5
152.	मुरार बस स्टैंड	10
153.	मुरार बारादरी चौराहा	5
154.	मुरार सी. पी. कॉलोनी	5
155.	मुरार सूर्य मंदिर	5
156.	मुरार एम. एच. चौराहा	60
157.	गोले का मंदिर चौराहा	5
158.	थाटीपुर चौराहा	5
159.	न्यू बस स्टैंड	10
160.	रेल्वे स्टेशन	20
161.	पडाव कला बीथिका, गांधीनगर	10
162.	स्टेट बैंक चौराहा	5
163.	हजीरा चौराहा	10
164.	बिरला नगर, रेल्वे स्टेशन	5
165.	किलागेट	10
166.	प्रेमनगर नर्सिंग होम, हरितवाल नर्सिंग होम	5
167.	मोतीमहल	5
168.	बहोडापुर	10
169.	नवाब साहब का कुंआ, शिन्दे की छावनी चौराहा	10
170.	इंदरगंज चौराहा	15
171.	लोहिया बाजार, तिराहे के सामने	5
172.	मैना वाली गली	5
173.	पाटनकर बाजार चौराहा	5
174.	दौलतगंज पार्क	5
175.	सेन्ट्रल लायब्रेरी के सामने	10
176.	जनकगंज हॉस्पिटल	5
177.	हनुमान चौराहा	5
178.	नेहरू पेट्रोलपंप	5
179.	गोरखी स्काउट	5
180.	माधौगंज थाना	5

(1)	(2)	(3)
181.	जवाहर कॉलोनी	5
182.	कम्पू थाने के पास	10
183.	कम्पू पेट्रोलपंप के पास	10
184.	कमलाराजा हॉस्पिटल	10
185.	जे. ए. एच. हॉस्पिटल	10
186.	चन्द्रबदनी नाका	10
187.	ए. जी. ऑफिस	10
188.	नई सडक फिल्मस्तान टॉकीज	5
189.	एयरपोर्ट	10
190.	गस्त का ताजिया	5
191.	सराफा पुलिस चौकी	5
192.	गांधी नगर कॉलोनी	5

उपरोक्त उल्लेखित ऑटो स्टेण्ड स्थलों को आयुक्त नगर निगम, ग्वालियर द्वारा चिन्हांकित (Marked) कराया जाये तथा अधिनियम की अनुसूची के अनुसार संकेत स्थापित कराये जाये जिनपर सूची में दर्शाये अनुसार वाहन संख्या लिखी जायेगी.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आदेशित).

कौशलेन्द्र विक्रम सिंह,

अपर जिला मजिस्ट्रेट.

(57)

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट ग्यारसपुर, जिला विदिशा

प्रारूप-4

[नियम 5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 5(2) एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1962 के नियम 5(1) के अंतर्गत]

जैसाकि सन्यासी विकास गिरी गुरु श्री शंकर गिरी एवं अन्य सर्व निवासी पतरूआ बंडवा, तहसील गुलाबगंज, जिला विदिशा ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1962 के नियम-2 के तहत एक आवेदन-पत्र अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति मन्दिर/संपत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीयन किये जाने का निवेदन किया है.

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 27 अक्टूबर, 2020 को विचारार्थ पेशी पर लगा हुआ है. जो भी व्यक्ति उक्त मंदिर अथवा संपत्ति में हित रखते हो अथवा उक्त के ट्रस्ट के गठन में उन्हें कोई भी आपत्ति हो वह इस सूचना के प्रकाशन के एक माह की अवधि के भीतर अपनी आपत्ति/सुझाव दो प्रतियों में मेरे समक्ष में उपस्थित होकर स्वयं अथवा अपने विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से मेरे समक्ष में उपस्थित होकर कर सकते हैं. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जावेगा.

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल संपत्ति का विवरण)

1. ट्रस्ट का नाम : मंदिर श्री शंकर जी पतरूआ वन बंडवा, तहसील गुलाबगंज, जिला विदिशा म.प्र..
2. अचल सम्पत्ति : भूमि खसरा क्रमांक आर. एफ. 18 रकबा 0.483 हे. में स्थित प्राचीन श्री शंकर जी का मंदिर महात्मा एवं पुजारी का निवास स्थान धूनी भोजन कक्ष एवं मांगलिक भवन एक पक्का कुआँ एवं फलदार पेड़.
3. चल सम्पत्ति : मंदिर आरती का सामान, फर्स, घंटी, घडियाल, ढोलक, हारमोनियम.

बृजेन्द्र रावत,

अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

(58)

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, रांझी, जिला जबलपुर

रा.प्र.क्रमांक/0001/बी-113(4)/2020-21.

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 अंतर्गत नियम-4 के तहत]

(1) विशप श्री एम. ए. डेनियल आत्मज स्व. श्री एम. पी. एल्फ्रेड, निवासी मकान नंबर 3 सरोज अपार्टमेंट 71, स्नेही स्वजन पार्क पुणे (महाराष्ट्र), (2) रि. श्री मनीष एस. गिडोन आत्मज स्व. श्री सी. आर. गिडोन ट्रस्टी, निवासी-न्यू सी.बी.होम बिल्डिंग ब्लॉक ए विसाईड मैथोडिस्ट सेंटर 1007 नेपियर टाउन, जबलपुर (म.प्र.), (3) रि. श्री ईरिक पी. नाथ आत्मज श्री पवन नाथ ट्रस्टी, निवासी वार्ड नंबर 11 मिशन कम्पाउन्ड बुधी, जिला बालाघाट (म.प्र.), (4) रि. श्री दलसाई नाग आत्मज श्री बसपती नाग ट्रस्टी, निवासी सरगीपल पोस्ट सरगीपल बस्तर बाकाबंद (छत्तीसगढ़), (5) मिश अनीशा बाघ पिता श्री साउल ट्रस्टी, निवासी वार्ड नंबर 10 ग्राम बईहर, जिला बालाघाट (म.प्र.), (6) श्री मिस्टर रवी के. प्रसाद आत्मज स्व. श्री एस. एन. प्रसाद ट्रस्टी, निवासी मकान नंबर 328 स्कीम नंबर 54, विजय नगर, इन्दौर (म.प्र.).
.....आवेदकगण/ट्रस्टी

विरुद्ध

आम जनता

अपीलार्थीगणों/ट्रस्टियों की ओर से अधिवक्ता श्री नवनीत दुबे के द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अंतर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर रीजनल एकजीक्यूटिव बोर्ड ऑफ मध्यप्रदेश रीजनल कांफ्रेंस रेलीजियस ट्रस्ट के लोक न्यास के रूप में पंजीयन किये जाने हेतु प्रस्तुत किया है।

अतः एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन पर संधारित प्रकरण मेरे न्यायालय में दिनांक 23 फरवरी, 2021 को विचार के लिये नियत है। कोई भी व्यक्ति/संस्था उक्त न्यास में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्ति प्रस्तुत करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से 30 दिवस के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन/दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है अथवा उक्त नियत दिनांक को न्यायालय में मेरे समक्ष स्वयं या अपने अभिभाषक या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों/दावों/सुझावों पर कोई विचार के लिए ग्राह्य नहीं किया जावेगा।

जारी दिनांक-23-01-2021

दिव्या अवस्थी,

अनुविभागीय दण्डाधिकारी.

(59)

कार्यालय उप-पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पिपरिया

रा.प्र.क्र. 096/बी-113/2020-21.

मौजा:-मछेराखुर्द, तहसील बनखेड़ी

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 के नियम-5(1) द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयन पिपरिया, जिला-होशंगाबाद के समक्ष.

अध्यक्ष-हरनामसिंह पिता श्री शंकरसिंह पटैल, उपाध्यक्ष-देवेन्द्र सिंह पारासर पिता सुरेश पारासर, सचिव-राजेन्द्र कुमार पटैल, पिता श्री रमेश कुमार पटैल, निवासी मछेराखुर्द, तहसील बनखेड़ी द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अंतर्गत एक आवेदन-पत्र अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिए प्रस्तुत किया जाकर श्री राधाकृष्ण सार्वजनिक मंदिर समिति मछेराखुर्द, तहसील बनखेड़ी, जिला होशंगाबाद (म.प्र.) के नाम से लोक न्यास का पंजीयन किया जाने हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

एतद् द्वारा सूचना दिया जाता है कि इस आवेदन पर 2021 के 02 माह की 18 दिनांक पर मेरे न्यायालय में विचार लिया जाएगा। किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या जो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए। उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा।

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

श्री राधाकृष्ण सार्वजनिक मंदिर समिति मछेराखुर्द, तहसील बनखेड़ी, जिला होशंगाबाद (म.प्र.) भूमि स्थित ग्राम मछेराखुर्द, तहसील बनखेड़ी.

ख. नं. 44, 75, 99, रकबा क्र. 0.717, 1.882, 0.405 हे. कुल रकबा 3.004 हे. भूमि राधाकृष्ण मंदिर सरवराहकार, तहसीलदार बनखेड़ी, प्रबंधक कलेक्टर महोदय होशंगाबाद से दर्ज है।

जारी दिनांक:-18-01-2021.

मदनसिंह रघुवंशी,

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

(60)

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक लोक न्यास जूनी इन्दौर क्षेत्र, जिला-इन्दौर

जूनी इन्दौर, दिनांक 11 जनवरी, 2021

फार्म-चार

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम-1963, नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

क्र./110/री.-1/2020.—“तीन एक्का फाउण्डेशन ट्रस्ट इन्दौर”, पता-83, नवलखा मेन रोड, इन्दौर म.प्र. की ओर से आवेदक द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-04 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तियार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं. निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	“तीन एक्का फाउण्डेशन ट्रस्ट इन्दौर”, पता-83, नवलखा मेन रोड, इन्दौर (म.प्र.).
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.
चल सम्पत्ति	:	रु. 5000/- (अक्षरी पांच हजार मात्र).

आज दिनांक.....को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(61)

जूनी इन्दौर, दिनांक 11 जनवरी, 2021

फार्म-चार

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम-1963, नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

क्र./112/री.-1/2021.—“पेस्ट कण्ट्रोल डेवलपमेंट कॉउन्सिल ऑफ इंडिया ट्रस्ट इंदौर”, पता-1130, सेकण्ड फ्लोर इंडस सेटेलाईट जक्शन, देवास नाका इंदौर मध्यप्रदेश की ओर से आवेदक द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तियार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं. निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	“पेस्ट कण्ट्रोल डेवलपमेंट कॉउन्सिल ऑफ इंडिया ट्रस्ट इंदौर”,
पता	:	1130, सेकण्ड फ्लोर इंडस सेटेलाईट जक्शन, देवास नाका इंदौर मध्यप्रदेश.
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.
चल सम्पत्ति	:	निरंक.

आज दिनांक.....को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(62)

अंशुल खरे,
रजिस्ट्रार.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला नरसिंहपुर

नरसिंहपुर, दिनांक 19 जनवरी, 2021

क्र./उरन./परि./2020-21/62.—आदिम जाति मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., सिवनी (बंधा) पंजीयन क्रमांक 270, दिनांक 26 मार्च, 1984 मुकाम सिवनी (बंधा) पोस्ट बरहटा, तहसील गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर को कार्यालयीन आदेश क्र./उरन/परिसमापन/206/नरसिंहपुर, दिनांक 04 मई, 1991 के द्वारा संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम, 1960 की धारा-70(1) के तहत परिसमापक नियुक्त की गई थी. कार्यालयीन संशोधित आदेश क्रमांक/उरन/परिसमापन/2017/66 नरसिंहपुर, दिनांक 12 जनवरी, 2017 के द्वारा श्री ओ. पी. दीक्षित, उप अंकेक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा उक्त संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही नियमानुसार सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया. अंतिम प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर पाया गया कि परिसमापक द्वारा संस्था की बैलेन्सशीट में लेनदारी/देनदारी निरंक दर्शाई गई है तथा संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा अपने प्रतिवेदन में की गई है. परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था की लेनदारी एवं देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन में लेनदारी व देनदारी शून्य होने से संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः मैं, अखिलेश कुमार निगम, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, नरसिंहपुर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पंद्रह-1-सी भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के तहत आदिम जाति मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., सिवनी (बंधा) पोस्ट बरहटा, तहसील गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगमित निकाय बॉडी कार्पोरेट समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 19 जनवरी, 2021 को कार्यालयीन पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(63)

नरसिंहपुर, दिनांक 19 जनवरी, 2021

क्र./उरन./परि./2020-21/63.—आदिम जाति मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., बरहटा पंजीयन क्रमांक 277, दिनांक 31 मार्च, 1986 मुकाम व पोस्ट बरहटा, तहसील गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर को कार्यालयीन आदेश क्र./उरन/परिसमापन/460/नरसिंहपुर, दिनांक 31 मार्च, 1995 के द्वारा संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम, 1960 की धारा-70(1) के तहत परिसमापक नियुक्त की गई थी. कार्यालयीन संशोधित आदेश क्रमांक/उरन/परिसमापन/2017/66 नरसिंहपुर, दिनांक 12 जनवरी, 2017 के द्वारा श्री ओ. पी. दीक्षित, उप अंकेक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा उक्त संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही नियमानुसार सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया. अंतिम प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर पाया गया कि परिसमापक द्वारा संस्था की बैलेन्सशीट में लेनदारी/देनदारी निरंक दर्शाई गई है तथा संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा अपने प्रतिवेदन में की गई है. परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था की लेनदारी एवं देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन में लेनदारी व देनदारी शून्य होने से संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः मैं, अखिलेश कुमार निगम, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, नरसिंहपुर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पंद्रह-1-सी भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के तहत आदिम जाति मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., बरहटा पंजीयन क्रमांक 277, दिनांक 31 मार्च, 1986 मुकाम व पोस्ट बरहटा, तहसील गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगमित निकाय बॉडी कार्पोरेट समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 19 जनवरी, 2021 को कार्यालयीन पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(64)

नरसिंहपुर, दिनांक 19 जनवरी, 2021

क्र./उरन./परि./2020-21/64.—महावीर तेल धानी सहकारी समिति मर्या., करेली कला पंजीयन क्रमांक 137, दिनांक 19 अगस्त, 1964 मुकाम व पोस्ट करेली कला, तहसील गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर को कार्यालयीन आदेश क्र./उरन/परिसमापन/208/नरसिंहपुर, दिनांक 04 मई, 1991

के द्वारा संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम, 1960 की धारा-70(1) के तहत परिसमापक नियुक्त की गई थी. कार्यालयीन संशोधित आदेश क्रमांक/उरन/परिसमापन/2017/66 नरसिंहपुर, दिनांक 12 जनवरी, 2017 के द्वारा श्री संजय खत्री, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा उक्त संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही नियमानुसार सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया. अंतिम प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर पाया गया कि परिसमापक द्वारा संस्था की बैलेन्सशीट में लेनदारी/देनदारी निरंक दर्शाई गई है तथा संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा अपने प्रतिवेदन में की गई है. परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था की लेनदारी एवं देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन में लेनदारी व देनदारी शून्य होने से संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः मैं, अखिलेश कुमार निगम, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, नरसिंहपुर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पंद्रह-1-सी भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के तहत महावीर तेल धानी सहकारी समिति मर्या., करेली कला पंजीयन क्रमांक 137, दिनांक 19 अगस्त, 1964 मुकाम व पोस्ट करेली कला, तहसील गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगमित निकाय बॉडी कार्पोरेट समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 19 जनवरी, 2021 को कार्यालयीन पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

अखिलेश कुमार निगम,

उप-रजिस्ट्रार.

(65)

कार्यालय, संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी उज्जैन, संभाग उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 12 जनवरी, 2021

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-16-ए/क (1) एवं (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./54.—कार्यालय उपायुक्त सहकारिता, देवास जिला देवास के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2020/2127, देवास, दिनांक 06-01-2021 से दीनदयाल अन्तयोदय बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., सुन्देल, पंजीयन क्रमांक 1669, दिनांक 23 अप्रैल, 2018 का मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क) के अंतर्गत पंजीयन निरस्ती हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है. प्रस्ताव में स्वयं संस्था सदस्यों एवं प्रशासक द्वारा दिनांक 04-01-2021 को संस्था की बैठक आहुत कर यह निर्णय लिया गया कि संस्था के द्वारा पंजीयन दिनांक से कोई कार्य नहीं किया गया है तथा सदस्यों में भी संस्था चलाने की कोई रूचि नहीं होने से आगे भी संस्था चलाने की कोई संभावना नहीं है. इसलिये संस्था को परिसमापन में लाया जाये. सोसायटी एवं उपायुक्त सहकारिता, जिला देवास के प्रतिवेदन के आधार पर मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, बी. एल. मकवाना, संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, उज्जैन संभाग, उज्जैन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18-ए/क(1) की शक्तियों जो मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्र. एफ-2-2010-पन्द्रह-1 बी, भोपाल, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 एवं 29 मई, 2013 के तहत मुझे प्रदत्त है, का उपयोग करते हुये सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण समाप्त करता हूँ साथ ही निम्नानुसार अधिनियम की धारा-18/ए/क(2) के अंतर्गत दीनदयाल अन्तयोदय बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., सुन्देल की आस्तियों की वसूली और दायित्वों के परिसमापन के लिए श्री पी. एस. निगवाल, सहकारी निरीक्षक को शासकीय समानुदेशिति नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 12 जनवरी, 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

बी. एल. मकवाना,

संयुक्त रजिस्ट्रार.

(66)

कार्यालय, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 01 जनवरी, 2021

क्र./परि./2021/क्यू.—सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन के आदेश क्रमांक 583, दिनांक 16 मार्च, 2020 से मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	विकास गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	108/18-10-1985	2051/03-09-2013
2.	अभिभाषक गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	1018/10-10-1991	2051/03-09-2013

अतः मैं, शान्तिलाल चौहान, सहकारी निरीक्षक, सर्व-साधारण की जानकारी के लिए सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति/संस्था का कोई लेना-देना शेष हो तो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशन होने के दो माह के अन्दर अपने दावे/आपत्ति प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें। उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे/आपत्ति या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर उक्त संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जावेंगे।

यह भी सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति/सदस्यों/भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस समिति की कोई लेखा पुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियां या अन्य कोई भी सामान अथवा रेकार्ड आदि हो तो इस सूचना के प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर मुझे प्रस्तुत करके रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इस समिति का उपरोक्त रेकार्ड होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा।

यह सम्यक सूचना आज दिनांक 01 जनवरी, 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी।

शान्तिलाल चौहान,

(67)

परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय परिसमापक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., महुखेड़ी

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, जिला उज्जैन के आदेश क्र./परि./2020/1713, उज्जैन, दिनांक 09 नवम्बर, 2020 के द्वारा मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्था का परिसमापक नियुक्त किया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., महुखेड़ी, जिला उज्जैन	1865/27-09-2014	1713/09-11-2020

अतः मैं, मोनिका सक्सेना, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57(सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिए सूचना-पत्र प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध किसी का भी कोई लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे प्रमाण सहित मुझे कार्यालय संयुक्त आयुक्त, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, संभाग उज्जैन में प्रस्तुत करें। उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा, उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा।

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास इस समिति के सदस्यों या भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस समिति की कोई लेखा पुस्तकें, रोकड़ चल-अचल सम्पत्तियां या अन्य कोई भी सामान तथा रिकार्ड आदि हो, तो इस सूचना के प्रकाशित होने के एक माह के अंदर उक्त वर्णित कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त करें। अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इस समिति की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा।

यह सम्यक सूचना आज दिनांक 13 सितम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी।

(68)

कार्यालय परिसमापक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नाहरखेड़ी

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, जिला उज्जैन के आदेश क्र./परि./2020/1713, उज्जैन, दिनांक 09 नवम्बर, 2020 के द्वारा मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्था का परिसमापक नियुक्त किया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नाहरखेड़ी, जिला उज्जैन	1901/13-11-2015	1713/09-11-2020

अतः मैं, मोनिका सक्सेना, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57(सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिए सूचना-पत्र प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध किसी का भी कोई लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञापित के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे प्रमाण सहित मुझे कार्यालय संयुक्त आयुक्त, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, संभाग उज्जैन में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा, उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास इस समिति के सदस्यों या भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस समिति की कोई लेखा पुस्तकें, रोकड़ चल-अचल सम्पत्तियां या अन्य कोई भी सामान तथा रिकार्ड आदि हो, तो इस सूचना के प्रकाशित होने के एक माह के अंदर उक्त वर्णित कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त करें. अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इस समिति की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सम्यक् सूचना आज दिनांक 13 सितम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी.

मोनिका सक्सेना,
सहकारी निरीक्षक.

(69)

कार्यालय परिसमापक एवं अंके. अधि./व.स.नि./स.नि./उप अंके. सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर द्वारा निम्न सहकारी संस्थाओं को उनके नाम के सम्मुख उल्लेखित आदेश क्र. व दिनांक से परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अन्तर्गत अद्योहस्ताक्षरी को परिसमापक नियुक्त किया गया है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	संस्था का नाम व पता	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	आदेश क्र. संशोधित दिनांक
1.	महिला उद्धार बुनकर सहकारी संस्था, इन्दौर	45/18-05-1958	326/24-01-2017
2.	बुनकर सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर देपालपुर	147/16-01-1962	327/24-01-2017
3.	मुरली मनोहर तेल उत्पादक सहकारी संस्था, हातोद	24/25-11-1959	337/24-01-2017
4.	लक्ष्मी तेल उत्पादक सहकारी संस्था, दौलतावाद	123/02-04-1961	338/24-01-2017
5.	न्यु ताम्बा पीतल सहकारी संस्था	261/17-08-1964	347/24-01-2017
6.	आदर्श अम उद्योग सहकारी संस्था, रावद	631/31-05-	350/24-01-2017
7.	गृह उद्योग सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	251/17-03-1964	351/24-01-2017
8.	अहिल्या खिलौना उद्योग सहकारी संस्था, इन्दौर	103/24-10-1960	352/24-01-2017
9.	बैतूल माल बेकरी सहकारी संस्था, इन्दौर	320/01-01-1968	360/24-01-2017
10.	रोल्ड गोल्ड एवं अभूषण सहकारी संस्था, इन्दौर	255/22-05-1964	361/24-01-2017
11.	मेसर्स एगो एम्पलाईज को. आ. सोसा., इन्दौर	-	367/24-01-2017
12.	ग्राम विकास औद्योगिक सहकारी संस्था, रगंवासा	92/01-01-1960	369/24-01-2017

अतः मैं, आनन्द खत्री, व.स.नि. एवं परिसमापक मध्यप्रदेश सहकारी समितियां नियम, 1962 के नियम-57(सी) के अन्तर्गत सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि संस्था के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति/संस्था का कोई लेना-देना शेष हो तो वे इस विज्ञापित के प्रकाशन दिनांक से दो माह के अन्दर अपने दावों/आपत्ति प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप/सहायक पंजीयक 123, देवी अहिल्या मार्ग, जेल रोड, इन्दौर में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावों/आपत्ति या स्वत्व के संबंध में कोई सुनवाई नहीं होगी एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव इस खण्ड के अधीन मुझे विधिवत् प्रदान किये समझे जावेगे.

यह भी सूचित किया जाता है कि संस्था के किसी व्यक्ति/सदस्यों/भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास संबंधित संस्था के कोई लेखा पुस्तकें, चल-अचल सम्पत्तियां अथवा अन्य कोई भी सामान/रिकार्ड आदि हो तो वह दो माह के अन्दर मुझे प्रस्तुत कर रसीद प्राप्त करे.बादमियाद यदि किसी भी प्रकार का रिकार्ड/समान किसी व्यक्ति के पास पाया जावेगा तो वह वैधानिक कार्यवाही के दायित्वाधीन होगा तथा नियमानुसार संस्था/संस्थाओं का पंजीयन निरस्त करने के लिये उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला इन्दौर की ओर प्रस्ताव प्रेषित कर दिया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 28 जनवरी, 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी.

(70)

आनन्द खत्री,
वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय परिसमापक एवं अंके. अधि./व.स.नि./स.नि./उप अंके. सहकारी संस्थाएँ, जिला इन्दौर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, जिला इन्दौर द्वारा निम्न सहकारी संस्थाओं को उनके नाम के सम्मुख उल्लेखित आदेश क्र. व दिनांक से परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अन्तर्गत अद्योहस्ताक्षरी को परिसमापक नियुक्त किया गया है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	संस्था का नाम व पता	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	आदेश क्र. संशोधित दिनांक
1	2	3	4
1.	अपंग वस्त्र उद्योग सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	278/09-12-1980	952/01-05-2019
2.	कुकुट पालन सहकारी संस्था मर्या., महु	311/23-03-1969	952/01-05-2019
3.	स्वरूपाली धातु उद्योग सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	60/17-02-1960	4320/17-11-2017

अतः मैं, बी. एल. मेहर, व.स.नि. एवं परिसमापक मध्यप्रदेश सहकारी समितियां नियम, 1962 के नियम-57(सी) के अन्तर्गत सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि संस्था के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति/संस्था का कोई लेना-देना शेष हो तो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशन दिनांक से दो माह के अन्दर अपने दावों/आपत्ति प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप/सहायक पंजीयक 123, देवी अहिल्या मार्ग, जेल रोड, इन्दौर में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावों/आपत्ति या स्वत्व के संबंध में कोई सुनवाई नहीं होगी एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव इस खण्ड के अधीन मुझे विधिवत् प्रदान किये समझे जावेगे.

यह भी सूचित किया जाता है कि संस्था के किसी व्यक्ति/सदस्यों/भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास संबंधित संस्था के कोई लेखा पुस्तकें, चल-अचल सम्पत्तियां अथवा अन्य कोई भी सामान/रिकार्ड आदि हो तो वह दो माह के अन्दर मुझे प्रस्तुत कर रसीद प्राप्त करे.बादमियाद यदि किसी भी प्रकार का रिकार्ड/समान किसी व्यक्ति के पास पाया जावेगा तो वह वैधानिक कार्यवाही के दायित्वाधीन होगा तथा नियमानुसार संस्था/संस्थाओं का पंजीयन निरस्त करने के लिये उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला इन्दौर की ओर प्रस्ताव प्रेषित कर दिया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 28 जनवरी, 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गई.

(71)

बी. एल. मेहर,
वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 6]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 5 फरवरी, 2021-माघ 16, शके 1942

भाग 3 (2)

सांख्यिकी सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, बुधवार, दिनांक 30 दिसम्बर, 2020

1. मौसम एवं वर्षा:—प्रायः राज्य में मौसम शुष्क रहा। राज्य के किसी भी जिले में वर्षा का होना प्रतिवेदित नहीं किया गया है।
2. पारम्भिक जुलाई पर वर्षा का प्रभाव :-राज्य के कुछ जिलों में जुलाई चालू है।
3. बोनी पर वर्षा का प्रभाव :- राज्य के कुछ जिलों में बोनी चालू है।
4. धानरोपाई पर वर्षा का प्रभाव :-रोपाई समाप्त हो चुकी है।
5. खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों का प्रभाव :-कोई प्रभाव होना प्रतिवेदित नहीं किया गया है।
6. कटी हुई फसल पर वर्षा का प्रभाव :-कोई प्रभाव होना प्रतिवेदित नहीं किया गया है।
7. अन्य असामयक घटना से क्षति :-कोई क्षति होना प्रतिवेदित नहीं किया गया है।
8. फसल स्थिति :-जिलों से प्राप्त पत्रकों में कुछ जिलों में फसल बिगड़ी हुई प्रतिवेदित किया गया है।
9. सिंचाई:- राज्य के कुछ जिलों में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त मात्रा में प्रतिवेदित किया गया है।
10. पशुओं की स्थिति:- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में पशुओं की स्थिति सन्तोषप्रद रहना प्रतिवेदित किया गया है।
11. चारा :- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहना प्रतिवेदित किया गया है।
12. बीज:- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।
13. खेतिहर श्रमिक :- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में खेतिहर श्रमिक उचित दर पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।

1	2	3	4	5	5 (ब)	6	7	8						9			10		
8.	गुना :	गुना राघोगढ़ बमोरी आरोन चाचौड़ा मकसूदनगढ़ कुम्भराज	गेहूँ चना राई-सरसों मसूर अन्य	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
9.	टीकमगढ़ :	जतारा टीकमगढ़ बल्देवगढ़ पलेरा खरगापुर मोहनगढ़ लिधौरा	गेहूँ जो चना मटर मसूर	अधिक अधिक अधिक अधिक कम	0.05 0.02 2% 2% 2%	सामान्य समान समान सामान्य सामान्य	5. अपर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त. 0
10.	निवाड़ी :	निवाड़ी पृथ्वीपुर ओरछा	राई-सरसों गेहूँ अन्य	अधिक जौ चना कम कम	5. . .	6.(अ). .	6.(ब). .	7. . .	8. . .	
11.	छतरपुर :	गौरीहार नौगांव छतरपुर राजनगर बिजावर बड़ा मलहरा महाराजपुर चंदला धुवारा लवकुशनगर बक्सवाहा	जुताई चालू बोनी चालू	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.	

1	2	3	4	5	5 (ब)	6	7	8						9			10		
37.	राजगढ़ :	राजगढ़ जीरापुर खिलचीपुर ब्यावरा सारंगपुर पचोर नरसिंहगढ़	गेहूँ चना मसूर अन्य	अधिक कम अधिक	5% 5% 5%	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त	8. पर्याप्त.
38.	विदिशा :	लटेरी सिरोंज कुरवाई बासोदा नटेरन विदिशा गुलाबगंज शमसाबाद त्यौंदा पठारी ग्यारसपुर	गेहूँ मसूर चना	सुधरी हुई सुधरी हुई सुधरी हुई	20% 15% 25%	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)सामान्य.	7. पर्याप्त	8. पर्याप्त.	
39.	भोपाल :	बैरसिया कोलार हुजूर बैरागढ़	गेहूँ चना मटर धान	कम अधिक सामान्य कम	10% 15% .. 10%	सामान्य सामान्य सामान्य समान	..	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त	8. पर्याप्त.	
40.	सीहोर :	सीहोर आष्टा इछाबर नसरुल्लागंज रेहटी श्यामपुर जावर बुधनी	गन्ना तुअर गेहूँ चना मसूर	कम कम अधिक अधिक कम	50% 15% 2% 2% 2%	सुधरी हुई सुधरी हुई सुधरी हुई सुधरी हुई सुधरी हुई	..	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त	8. पर्याप्त.	

1	2	3	4	5	5 (ब)	6	7	8						9			10		
52.	बालाघाट :		गेहूँ	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. . .	8. पर्याप्त.
	बालाघाट		चना
	लाँजी	
	किरनापुर	
	बैहर	
	वारासिवनी	
	कटंगी	
	लालबर्वा	
	तिरोडी	
	परसवाड़ा	
	बिरसा	
	खैरलाँजी	

(56)

ओ. पी. बाथम,
प्रभारी सहायक-आयुक्त,
वास्ते-आयुक्त,
भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश.